

तीव्र डाक

संख्या- 27/26/2007-एस.आर.एस.(भाग-7)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक अगस्त, 2008

25 AUG 2008

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून ।


महोदय,

आबंटन से संबंधित मामलों के निपटान हेतु डॉ एस.के. सरकार, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की लखनऊ में दिनांक 27.2008 को हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया । विचारोपरांत कमेटी ने निम्नलिखित अभ्यावेदनों को स्वीकृत करने की सिफारिश की :

क.स.	नाम एवं पदनाम	आबंटित राज्य	आधार
1.	श्री श्याम बिहारी राम, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।	उत्तर प्रदेश	दाम्पत्य नीति
2.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय आश्रम पद्धति उ०मा०वि० गदरपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड ।	उत्तर प्रदेश	चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के लिए तैयार किए गए नए दिशा निदेश के अनुसार ।

कमेटी द्वारा उपरोक्त मामलों में जो सिफारिशें की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अंतर्गत मान लिया गया है । कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।

भवदीय


(वि. पेददना)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. डॉ आर.सी. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री एन.एस. नपलच्याल, प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून ।
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
4. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

Department of Personnel & Training
प्रभु और निर्देश अनुभाग
Receipt & Issue Section

2008